



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2019/ 437

भोपाल, दिनांक 07-03-2019

अधिसूचना

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कुछ विभागों/परिसरों के द्वारा विद्यार्थियों के कॉशनमनी (धरोहर राशि) वापसी प्रस्ताव के साथ अलग-अलग प्रारूप वाले, पूर्ण रूप से नहीं भरे, बिना संबंधित विभागों के हस्ताक्षर/सील के अदेय प्रमाण पत्र प्रारूप तथा सम्पूर्ण प्रविष्टियां न कर बिना हस्ताक्षर वाले ई पेमेंट प्रपत्र अकादमिक विभाग को भेजे जा रहे हैं। इस कारण प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब होता है, इससे विद्यार्थियों को असुविधा होती है।

अतः अदेय प्रमाण पत्र के प्रारूप में एकरूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय में प्रचलित अदेय प्रमाण पत्र एवं ई पेमेंट प्रपत्र के संलग्न प्रारूप अनुसार ही अदेय प्रमाण पत्र एवं ई पेमेंट प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर अकादमिक विभाग को प्रेषित करना सभी विभाग एवं परिसर सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
प्रभारी कुलसचिव

पृ.क्र./अका./2019/ 438
प्रतिलिपि/-

भोपाल, दिनांक 07-03-2019

1. कुलपतिजी, कुलाधिसचिव, कुलसचिव के निज सचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर प्रभारी/शाखा प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. वेबसाइट संधारण शाखा को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. आदेश पुस्तिका

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
प्रभारी कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
अदेय (No Dues) प्रमाण पत्र

नाम पाठयक्रम

क्रमांक	विभाग	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
1.	पुस्तकालय
2.	छात्रावास
3.	सांस्कृतिक शाखा
4.	क्रीड़ा विभाग
5.	शैक्षणिक शाखा
6.	स्टुडियो
7.	लेखा शाखा



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
अदेय (No Dues) प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु.
पाठयक्रम ने सत्र के विश्वविद्यालय के सभी देयकों का भुगतान
कर दिया एवं इन पर कुछ भी देय नहीं है। इन्हें आदेश प्रमाण पत्र दिया जाता है।

सहा. कुलसचिव (अकादमिक)

e-Payment हेतु मांगी गयी जानकारी का विवरण

1. खातेदार का नाम या खाते का नाम
Name of the Account holder
in Capital Letter
2. खातेदार का पता
Address in Capital Letter
3. बैंक का आई.एफ.एस सी कोड
Bank IFSC Code
4. बैंक खाता क्रमांक
Bank Account No
5. बैंक का नाम एवं पता
Bank Branch Name & Address
6. खातेदार का मोबाईल नं.
Mobile No.of A/C Holder
7. टिन नं.(TIN.)
8. पैन (PAN N.)
9. E mail.ID

खातेदार का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बिन्दु क्रमांक 1 से 6 तक मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सत्य है।

संलग्न:-

1. बैंक पासबुक की छाया प्रति
2. निरस्त चैक
3. बैंक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

दिनांक.

खातेदार के हस्ताक्षर